भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.256

(जिसका उत्तर सोमवार, 02 फ़रवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है।)

"दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों पर जीएसटी में छूट"

256. श्री एम. के. राघवन:
श्री रॉबर्ट ब्रूस सी.:
श्री मुरसोली एस.:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिव्यांगजनों के लिए कई सहायक उपकरण और चलने-फिरने में सहायक उपकरण, जिन्हें पहले 10 प्रतिशत तक की छूट सहित रियायती जीएसटी लाभ या प्रभावी मूल्य कटौती प्राप्त होती थी, पर संशोधित जीएसटी दर संरचना के तहत अब उक्त छूट उपलब्ध नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) दिव्यांगजनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सहायक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों, जिनमें व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, ब्रेल प्रिंटर, स्क्रीन रीडर, चलने-फिरने में सहायक उपकरण और सुलभ संचार प्रौद्योगिकियां शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, पर लागू मौजूदा माल और सेवा कर (जीएसटी) दरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सहायक उपकरणों की अनिवार्य प्रकृति के बावजूद उन पर जीएसटी बनाए रखने के क्या कारण हैं और क्या सरकार का उपरोक्त करों को युक्तिसंगत बनाने या समाप्त करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का आवश्यक सहायक उत्पादों की वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए दिव्यांगजनों के लिए जीएसटी छूट/रियायतों को बहाल करने या संशोधित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों को उनकी आवश्यक और गैर-विलासिता की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कम या शून्य जीएसटी स्लैब के तहत पुनर्वर्गीकृत करने के संबंध में जीएसटी परिषद से परामर्श किया है और यदि हां, तो ऐसे परामर्शों के परिणामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार को दिव्यांगजन अधिकार संगठनों, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, या अन्य हितधारकों से ऐसे आवश्यक सहायक उपकरणों पर जीएसटी छूट की मांग करते हुए कोई अभ्यावेदन या सिफारिशें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (च):

(i) जीएसटी दरें जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर अधिसूचित की जाती हैं, जो कि केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रतिनिधियों से मिलकर बना एक संवैधानिक निकाय है।

(ii) वर्तमान में दिव्यांगजनों के लिए निम्नलिखित सहायक उपकरणों पुनर्वास की सहायता उपकरणों और अन्य वस्तुओं पर 5% की रियायती जीएसटी दर लागू होती है:

- ब्रेल लेखक और ब्रेल लेखन उपकरण
- हस्तलेखन उपकरण: ब्रेल फ्रेम, स्लेट, लेखन गाइड, लिपि लेखन गाइड, स्टाइल
- ब्रेल इरेज़र
- छड़ी (केन), इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपकरण जैसे सोनिक गाइड
- ऑप्टिकल, एनवायरमेंटल सेंसर
- अंकगणित में सहायता करने वाले उपकरण जैसे कि टेलर फ्रेम (अंकगणित और बीजगणित दोनों प्रकार), क्यूबरिथम, स्पीकिंग कैलकुलेटर या ब्रेल कैलकुलेटर
- संयुक्त ग्राफ और गणितीय प्रदर्शन बोर्ड, ब्रेल प्रोट्रैक्टर, स्केल, कम्पास और स्पार व्हील जैसे ज्यामितीय सहायक उपकरण
- कैलिपर, माइक्रोमीटर, कम्पेरेटर, गेज, गेज ब्लॉक लेवल, रूल्स, रूलर और यार्डस्टिक जैसे इलेक्ट्रॉनिक मापक उपकरण।

• ड्राफ्टिंग, ड्राइंग में सहायक उपकरण, स्पर्शनीय डिस्प्ले, विशेष रूप से अनुकूलित घड़ियाँ और कलाई घड़ियाँ
• सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के शीर्षक संख्या 87.13 के अंतर्गत आनेवाले व्हीलचेयर
• दिव्यांगजनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए रेट्रो फिटमेंट किट
• कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक स्वरयंत्र (लैरिंगक्स) और उसके पुर्जे
• कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक कान (कोक्लियर इम्प्लांट)
• टॉकिंग बुक्स (कैसेट्स, डिस्क्स या अन्य ध्वनि पुनरुत्पादन के रूप में) और बड़े अक्षरों वाली किताबें, ब्रेल एम्बॉसर, टॉकिंग कैलकुलेटर, टॉकिंग थर्मामीटर्स
• ब्रेल और रिकॉर्ड की गई सामग्री के यांत्रिक या कम्प्यूटरीकृत उत्पादन के उपकरण, जैसे ब्रेल कंप्यूटर टर्मिनल और डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल, ट्रांसफर और प्रेसिंग मशीनें और स्टीरियो टाइपिंग मशीनें।
• ब्रेल पेपर
• दृष्टिबाधित लोगों के उपयोग के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए सभी मूर्त उपकरण, जिनमें सामान, यंत्र और उपकरण शामिल हैं।
• दृष्टिबाधित लोगों की गतिशीलता में सुधार लाने के लिए सहायक उपकरण, जैसे इलेक्ट्रॉनिक दिशा-निर्देश और बाधा पहचान उपकरण और सफेद छड़ियां।
• दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा, पुनर्वास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के लिए तकनीकी सहायता सामग्री, जैसे ब्रेल टाइपराइटर, ब्रेल घड़ियाँ, शिक्षण और अधिगम सामग्री, खेल और अन्य उपकरण तथा विशेष रूप से दृष्टिबाधित लोगों के उपयोग के लिए अनुकूलित व्यावसायिक सहायता सामग्री।
• श्रवण सहायक उपकरण, ऑडियोमीटर्स
• बाह्य कैथेटर, बिस्तर में पड़े रहने से होने वाले घाव से बचाव के लिए विशेष जेली कुशन, स्टेयर लिफ्ट, मूत्र संग्रहण बैग
• गंभीर रूप से दिव्यांग रोगियों के लिए उपकरण और प्रत्यारोपण, साथ ही जोड़ों के प्रतिस्थापन और रीढ़ की हड्डी के उपकरण और प्रत्यारोपण, जिनमें बोन सीमेंट भी शामिल है।
• बैसाखी, व्हीलचेयर, वॉकिंग फ्रेम, ट्राइसाइकिल, ब्रेलर और कृत्रिम अंगों के भाग
• ऑर्थोपेडिक उपकरण, जैसे बैसाखी, सर्जिकल बेल्ट और ट्रस; स्प्लिंट और अन्य फ्रैक्चर एप्लरायेन्सेस; शरीर के कृत्रिम अंग; अन्य उपकरण जिन्हें किसी चोट या दिव्यांगता की भरपाई के लिए पहना या ले जाया जाता है, या शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है; इंट्राओकुलर लेंस

(iii) श्रवण यंत्र और श्रवण यंत्रों के निर्माण के लिए पुर्जों पर कोई भी जीएसटी दर लागू नहीं होती है।

(iv) इसके अतिरिक्त, ऑर्थोपेडिक शारीरिक दिव्यांगजनों के उपयोग हेतु छोटे पेट्रोल/डीजल चालित मोटर वाहनों पर 18% की जीएसटी दर लागू होती है।

(v) जीएसटी परिषद ने दिनांक 03.09.2025 को आयोजित अपनी 56वीं परिषद बैठक में वर्तमान चार स्तरीय कर दर संरचना को नागरिक-हितैषी 'सरल कर' - दो दर संरचना में युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की है। उक्त बैठक में जीएसटी परिषद ने छोटे पेट्रोल/डीजल चालित मोटर वाहनों पर जीएसटी दर को 28% से घटाकर 18% करने की सिफारिश की थी। इसने ऑर्थोपेडिक शारीरिक दिव्यांगजनों के लिए छोटे पेट्रोल/डीजल चालित मोटर वाहनों पर जीएसटी के दर में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं किया है, अत: इन पर पहले की तरह ही 18% जीएसटी लागू होता रहेगा।

(vi) दिव्यांगजन अधिकार संगठनों और अन्य हितधारकों से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें इन वस्तुओं पर, जिनमें शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों के लिए मोटर वाहन और व्हीलचेयर भी शामिल हैं, जीएसटी से रियायत/छूट की मांग की गयी है। इस संबंध में यह निवेदन किया जाता है कि जीएसटी की दर में कोई भी परिवर्तन केवल जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर ही किया जा सकता है।
